FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम [illegible]

रघुनाथ बनाम आईदानाराम व्गैरा

किस्म मुकदमा राजस्व 128 RLRAct नं. 232/15 सन 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/12/15	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 128 RLRAct राजस्थान (काश्तकारी/ भू राजस्य अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/01/16 को पेश हो।	
27/01/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 6 से 8 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त व अप्रार्थीगण संख्या 5 के नोटिस पर फौत होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील अप्रार्थीगण संख्या 5 के उत्तराधिकारी व संशोधित शीर्षक पेश करें। पेश होने पर पत्रावली वास्ते दिनांक 29/03/16 को पेश हो।	
29/03/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 6 से 8 बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया, कोशिश पेश करना चाहते हैं, मौका दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12/04/16 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

12/04/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा ~~विपक्षी~~ संशोधित रिवीजन व विपक्षी संख्या 5 के कायम मुकाम के सम्मन पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते दिनांक 28/06/16 को पेश हो। ✓

28/06/16 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 05/10/16 को पेश हों। ✓

05/10/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या 5 के कायम मुकाम के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः पत्रावली वास्ते दिनांक 28/02/17 को पेश हो। ✓

28/02/17 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 08/07/17 को पेश हों। ✓

08/07/17 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प में रखी गई, विपक्षी संख्या 1 से 4 व 6 से 8 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 4 व 6 से 8 के ~~वकील उप~~ नोटिस तामील शुदा प्राप्त जो बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एडवोकेट की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी के खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्की मेड़ें व मेड़बंदी नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्की मेड़बंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का मेड़बंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेड़बंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मेड़बंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बामनवास को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पक्की मेड़बंदी मौके पर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

✓

तहसीलदार (SDO)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

लोक अदालत कैम्प बायतु

क्रमांक / वाद / 2017 /

दिनांक:- 14 / 07 / 2017

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थीगण

1. खूमाराम पुत्र गोरधनराम वगैरा 4 जाति जाट निवासी लापला (कोसरिया) तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. आईदानराम पुत्र गंगाराम वगैरा 8 जाति जाट निवासी लापला कोसरिया तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 232/15

आदेश

खसरा नम्बर क्रमशः 338, 339, 412 रकबा क्रमशः 00.05, 71.01, 36.18 बीघा कुल रकबा 108.04 मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया भू अभिलेख वृत बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाडमेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करे तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उक्त कार्यवाही पूर्व पुनः दोनो पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाकन कार्यवाही करने के पश्चात ही नेखमबंदी की कार्यवाही करें।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु

क्रमांक / वाद / 2017 / 632 to 636

दिनांक:- 14 / 07 / 2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खूमाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री आईदानराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु